

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3039]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

No. 3039]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ. 3829(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में का.आ. 511(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2018, के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

क्रम संख्या: 3 अनुसूची के कॉलम (5) में “24 जुलाई 2018” को “24 अक्टूबर 2018” से प्रतिस्थापित करें।

[संदर्भ : पब/3/7/2018-19]

सी. बी. सिंह, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st July, 2018

S.O. 3829(E).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

(Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 511(E), dated 5 February 2018 in pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India.

Sl. No. 3 in column (5) of schedule – Substitute “24 October 2018” for “24 July 2018”

[Ref : PUB/3/7/2018-19]

C. B. SINGH, Addl. Director General

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ. 3830(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में का.आ. 515(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2018, के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

क्रम संख्या: 3 अनुसूची के कॉलम (5) में “24 जुलाई 2018” को “24 अक्टूबर 2018” से प्रतिस्थापित करें।

[संदर्भ : पब/3/7/2018-19]

सी. बी. सिंह, अपर महानिदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st July, 2018

S.O. 3830(E).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 515(E), dated 5 February 2018 in pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India.

Sl.no. 3 column (5) of schedule – Substitute “24 October 2018” for “24 July 2018”

[Ref : PUB/3/7/2018-19]

C. B. SINGH, Addl. Director General